

न्यायालय :प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक : 124 / 2016

संस्थापन दिनांक : 20.10.2016

1-श्रीमती पूजा पत्नि सुरेश सिंह राठौर आयु 26 वर्ष जाति राठौर निवासी वार्ड नं07 मौ रोड मेहगांव हाल निवासी वार्ड नं02 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

2-अल्पेश पुत्र सुरेश सिंह आयु डेढ वर्ष ना0बा0 सरपरस्त मां पूजा पत्नि सुरेश सिंह निवासी वार्ड नं07 मौ रोड मेहगांव हाल निवासी वार्ड नं02 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— आवेदकगण

बनाम

सुरेश सिंह पुत्र प्रेमसिंह आयु 28 वर्ष जाति राठौर व्यवसाय ठेकेदारी व कृषि निवासी भदौरिया वाली गली वार्ड नं07 मौ रोड मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

— अनावेदक

(आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं.)

(आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री बी0एस0 गुर्जर)

(अनावेदक— एकपक्षीय)

आदेश

(आज दिनांक 13-01-2018 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका क01 पूजा की शादी आवेदन प्रस्तुत करने के छः वर्ष पूर्व जेट माह में अनावेदक सुरेश के साथ हुई थी। शादी के समय आवेदिका के मातापिता ने दहेज में 80 हजार रुपये नगद सोने के बाले, चांदी की पायलें, मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, टीवी, सोफासेट, ड्रेसिंग टेबल, बेड बर्तन इत्यादि घर गृहस्थी का सभी सामान दिया था कुल 2 लाख 26 हजार रुपये दहेज में दिए थे। उक्त सामान अनावेदक अपने घर मेहगांव ले गया था परंतु अनावेदक एवं उसके ससुराल वाले उक्त दहेज से संतुष्ट नहीं हुए थे एवं शादी के बाद से ही आवेदिका को ताने देने लगे थे कि न तो बहू सुन्दर मिली है और ना ही अच्छा दहेज मिला है उक्त बात उसने अपने मातापिता को बताई थी तो मातापिता ने अनावेदक को समझाने के लिए कह दिया था। आवेदिका अपने पति के साथ रहने लगी थी तो अनावेदक एवं उसके परिवार वाले सास, ससुर, जेट उसे भरपेट खाना भी नहीं देते थे उसकी मारपीट करते थे। आवेदिका शर्म के कारण सब सहन करती रहती थी। दिनांक 31.03.15 को उसके मेहगांव अस्पताल में पुत्र पैदा हुआ था लेकिन अनावेदक द्वारा उसके बाद भी उससे कहा जाता था कि वह सुन्दर नहीं है। आवेदिका अपने पति सुरेश के साथ रहने के लिए अहमदाबाद गई थी अहमदाबाद ने अनावेदक ने उससे अपनी छोटी बहन गीता को बुलाने के लिए कहा था एवं उसके इंकार करने पर अनावेदक ने उसे मारा पीटा था तथा उसे जान से मारने का प्रयास भी किया था। अनावेदक उससे कहने लगा था कि वह उसे छोड़कर गीता के साथ शादी करेगा और गीता को पत्नि के रूप में रखेगा। दिनांक 27.09.16 को अनावेदक उसे अहमदाबाद से मेहगांव लाया था तथा उसके सास ससुर जेट से सलाह करके उसे व उसके बच्चे अल्पेश को गोहद छोड़ गया था। दिनांक 29.09.16 को उसके पिता रामधुन ग्वालियर गए थे एवं वह अपने बच्चे को दवा दिलाने के लिए गोहद अस्पताल गई थी घर पर उसकी छोटी बहन गीता थी तो अनावेदक उसकी बहन गीता को घर से भगा ले गया था तथा घर में रखे हुए 20 हजार रुपये नगद सोने की झुमकी भी गीता ले गई थी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 04.10.16 को थाना गोहद में कराई गई थी जिस पर अनावेदक के विरुद्ध अपराध क0 284/16 धारा 363 भादसं का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। दिनांक 15.10.16 को अनावेदक ने उसके होते हुए उसकी नाबालिग बहन गीता से शादी कर ली है। अनावेदक ने आवेदकगण को असहाय रूप में छोड़ दिया है। आवेदकगण के पास आय को कोई साधन नहीं है। आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। अनावेदक अहमदाबाद में कलर की ठेकेदारी करके पचास हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। उसकी मेहगांव में दुकानें हैं और खेती से उसकी बहुत लंबी आय होती है। आवेदकगण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं। अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरणपोषण नहीं किया जा रहा है अतः आवेदकगण को अनावेदक से दस हजार रुपये प्रतिमाह भरणपोषण दिलाने की कृपा करें।
3. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अनावेदक के तामील उपरांत उपस्थित न होने से अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।
4. उपरोक्त अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं कि :-
1. क्या आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत हैं ?
 2. क्या आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?

3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
4. क्या अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण किये जाने में उपेक्षा बरती जा रही है ?
5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका द्वारा आवेदिका स्वयं आ0सा01 एवं रामधुन अ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि अनावेदक की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 //

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका पूजा अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसकी शादी उसके न्यायालयीन कथन से सात वर्ष पूर्व जेठ माह में अनावेदक सुरेश के साथ हुई थी। शादी में उसके मातापिता ने अस्सी हजार रुपये नगद सोने के बाले एवं घर गृहस्थी का सामान तथा मोटरसाइकिल दी थी कुल मिलाकर दो लाख छब्बीस हजार रुपये की शादी हुई थी। शादी के बाद वह अपनी ससुराल में रहने लगी थी। ससुराल वाले उसकी मारपीट करते थे सभी लोग कहते थे कि दहेज अच्छा नहीं मिला है एवं बहू भी अच्छी नहीं मिली है उसने घर आकर यह बात अपने मातापिता को बताई थी तो उसके पिता ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा फिर वह ससुराल में रहने लगी थी ससुराल वाले उसे भरपेट खाना नहीं देते थे उसकी मारपीट करते थे और उसे जान से मारने की धमकी देते थे। उसके बच्चा हुआ था फिर भी ससुराल वाले उसकी मारपीट करते थे। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग छः सात महीने पहले सुरेश उसे मायके छोड़ गया था तब से वह अपने मायके में ही रह रही है। उसका बच्चा बीमार हो गया था तो वह अपने बच्चे को दवाई दिलाने के लिए अपनी मां के साथ बाजार गई थी धर पर उसकी बहन गीता एवं उसकी मां भी सुमन तथा सुरेश थे जब वह अपने बच्चे को दवाई दिलाकर घर वापिस आई थी तो सुरेश और गीता उसे घर पर नहीं मिले थे फिर उसने थाने पर रिपोर्ट की थी गीता 20 हजार रुपये व सोने की झुमकी लेकर गई थी। गीता सुरेश के साथ रह रही है। सुरेश उसे लेने नहीं आया है। अल्पेश सुरेश का पुत्र है जिसका जन्मप्रमाण पत्र प्र0पी01 है उसका प्रसव मेहगांव अस्पताल में हुआ था जिसका डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी02 है।

7. आवेदिका साक्षी रामधुन अ0सा02 ने भी आवेदिका पूजा अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं सुरेश द्वारा पूजा को परेशान करने तथा सुरेश द्वारा गीता को भगा ले जाने बावत प्रकटीकरण किया है।

8. अनावेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उक्त तथ्यों का कोई खंडन नहीं किया गया है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका पूजा आ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि शादी के बाद से ही अनावेदक एवं उसके परिवार वाले उसे कम दहेज लाने का ताना देते थे तथा यह भी कहते थे कि वह सुन्दर नहीं है। आवेदिका पूजा अ0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अनावेदक एवं उसके ससुराल वाले उसकी मारपीट करते थे तथा उसे भरपेट खाना नहीं देते थे एवं इसी क्रम में अनावेदक उसे व उसके बच्चे आवेदक

क02 अल्पेश को उसके मायके छोड़ गया था तब से वह अपने मायके में ही रह रही है। आवेदिका द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अनावेदक सुरेश उसकी बहन गीता को ले गया था एवं उसकी बहन गीता वर्तमान में सुरेश के साथ रह रही है। आवेदक साक्षी रामधुन अ0सा02 ने भी आवेदिका पूजा अ0सा01 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खंडन नहीं किया गया है। आवेदिका पूजा अ0सा01 का कथन तात्त्विक बिंदुओं पर मूल आवेदन से भी पुष्ट रहा है। इस प्रकार आवेदिका पूजा द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक उसकी बहन गीता के साथ रह रहा है तथा अनावेदक द्वारा उसका तथा उसके पुत्र अल्पेश का परित्याग कर दिया गया है इसी कारण आवेदकगण अनावेदक से प्रथक निवास कर रहे हैं। अनावेदक द्वारा उक्त तथ्यों का कोई खंडन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदकगण अनावेदक द्वारा परित्याग किए जोन के कारण अनावेदक से प्रथक निवासरत हैं। इससे यही दर्शित होता है कि आवेदकगण अनावेदक से पर्याप्त कारणों से प्रथक निवासरत हैं।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02 //

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका पूजा आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि वह पढीलिखी नहीं है वह कोई काम नहीं जानती है तथा अनावेदक सुरेश उसे पैसे नहीं भेजता है। साक्षी रामधुन अ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि पूजा छः महीने से उसके यहां रह रही है पूजा ज्यादा पढीलिखी नहीं है पूजा का खर्च वह ही उठाता है तथा सुरेश पूजा को पैसे नहीं भेजता है। अनावेदक द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

11. इस प्रकार आवेदिका पूजा आ0सा01 एवं साक्षी रामधुन अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है एवं आवेदकगण का खर्च आवेदिका पूजा के पिता रामधुन उठाते हैं। अनावेदक द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। फलतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 //

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका पूजा आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि अनावेदक सुरेश कलर का काम करता है सुरेश ठेकेदारी करता है तथा ठेकेदारी के कार्य से वह पचास हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। साक्षी रामधुन अ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि सुरेश ठेकेदारी करता है एवं पचास हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है।

13. इस प्रकार आवेदिका पूजा आ0सा01 एवं साक्षी रामधुन आ0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक ठेकेदारी करता है एवं उक्त कार्य से पचास हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता है परंतु उक्त संबंध में कोई प्रमाण आवेदिका द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है आवेदिका द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि द0प्र0सं0 की धारा 125 में जो “पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति” वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय केवल प्रकट

सम्पत्ति या यथासाध्य, सम्पदा, राजस्व या निश्चित रोजगार ही नहीं हैं उसमें कमाने की क्षमता का भी समावेश है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्षम शरीर वाला है तो यह माना जायेगा कि उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिये पर्याप्त साधन हैं।

14. भरण पोषण के आदेश हेतु यह कतई आवश्यक नहीं है कि पति सम्पत्ति धारण करता हो जब तक पति शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने तथा कमाने में सक्षम हो पत्नी को सहारा देना उसका कर्तव्य है चाहे वह दिवालिया, विक्षुप्त, अवयस्क, साधू या सन्यासी ही क्यों न हो। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है जो विवाह के क्षण से ही पति के साथ युक्त हो जाता है।

15. यद्यपि आवेदिका द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक लगभग 28 वर्षीय वयस्क एवं स्वस्थ व्यक्ति है तथा मजदूरी करने में सक्षम है यदि अनावेदक महीने में 25 दिन भी मजदूरी करता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छः हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह कमाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04 //

16. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका पूजा आ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह कोई काम नहीं जानती है एवं अनावेदक सुरेश उसे व उसके बच्चे को पैसे नहीं भेजता है। अतः उसे एवं उसके बच्चे आवेदक क02 को अनावेदक से 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जावे। आवेदिका साक्षी रामधुन आ0सा02 ने भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका पूजा आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि सुरेश आवेदिका पूजा को पैसे नहीं भेजता है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है ना ही अनावेदक का ऐसा कहना है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।

17. आवेदिका पूजा अनावेदक की विवाहिता पत्नी है एवं आवेदक क02 अल्पेश अनावेदक की पुत्र है। पति एवं पिता होने के नाते अनावेदक का यह धार्मिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करे अनावेदक द्वारा अपने इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है अतएव आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान समय की मंहगाई आवेदकगण के दैनिक खर्च, आवेदक अल्पेश की पढाई लिखाई एवं अनावेदक की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका पूजा को अनावेदक से 1500/- रुपये एवं आवेदक अल्पेश को अनावेदक से 1500/- रुपये कुल तीन हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

18. फलतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से प्रतिमाह आवेदिका पूजा को 1500/- रुपये एवं आवेदक अल्पेश को 1500/- रुपये कुल तीन हजार रुपये की राशि भरण पोषण के रूप में अदा करें।

स्थान-गोहद

दिनांक-13.01.2018

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)